राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(68)RSSB/अर्थना/शीघ्र.लि./भर्ती/2018/3260 दिनांक : 18/8/2020

–:: संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति ::–

शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018

राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम–1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ) नियम तथा विनियम, 1999 एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम–1999 के अन्तर्गत क्रमशः शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों के लिये **शीघ्रलिपिक** के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 13/2018 दिनांक 04.07.2018 को जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये गये थे।

कार्मिक(क–2) विभाग के पत्र कमांक प.7(1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में शीघ्रलिपिक के निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) पुनः आमंत्रित किये जाते है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इन पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन कर दिया है, उन्हें दुबारा ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। अति पिछडा वर्ग को 05 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 एवं दिनांक 20.10.2019 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 दिनांक 23.01.2019 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये 04 प्रतिशत पदों की पालना में इन पदों का अब श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:–

01. पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण

(क) शीघ्रलिपिक (शासन सचिवालय) पद कोड संख्या–01

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
70	13	4	1	0	11	2	2	0	08	4	0	0	10	4	1	0	2	1	0	0	5	1	1	0

नोटः– उक्त पदों में बैकलॉग के केरी फॉरवर्ड (अनुसूचित जाति–07 अनुसूचित जनजाति–06) कुल 13 पद भी सम्मिलित है।

क्षैतिज आरक्षण						
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	शासन सचिवालय में कार्यरत लि. ग्रे.–II व लि.ग्रे.–I
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	I.D, M.I, S.L.D., AUTISM & M.D.			
1	1	1	0	8	1	35

(ख) शीघ्रलिपिक (राजस्थान लोक सेवा आयोग) पद कोड संख्या–02

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
05	03	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्षैतिज आरक्षण						
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	राज.लोक सेवा आयोग में कार्यरत लि.ग्रे.–II व लि.ग्रे.–I
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	I.D, M.I, S.L.D., AUTISM & M.D.			
01	–	–	–	–	–	02

(ग) शीघ्रलिपिक (राज्य के अधीनस्थ विभाग/कार्यालय) (गैर–अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या–03

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				सहरिया (बांरा जिले हेतु)			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
1080	306	126	12	01	152	36	14	02	125	22	08	01	145	32	05	01	29	01	0	0	54	06	01	0	01	0	0	0

नोटः– उक्त पदों में बैकलॉग के केरी फॉरवर्ड (अनुसूचित जाति–87, अनुसूचित जनजाति–61, सहरिया–01) कुल 149 पद भी सम्मिलित है।

क्षैतिज आरक्षण					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	I.D, M.I, S.L.D., AUTISM & M.D.		
12	10	21	02	75	03

नोटः– उक्त पदों में बैकलॉग के केरी फॉरवर्ड (दृष्टिहीन (B/LV)–05, मूकबधिर (HI)–05, अस्थि विकृत (LD/CP)–06) कुल 16 पद भी सम्मिलित है।

(घ) शीघ्रलिपिक (राज्य के अधीनस्थ विभाग/कार्यालय) (अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या–03

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
56	14	8	0	0	05	01	0	0	19	07	02	0

नोटः– उक्त पदों में बैकलॉग के केरी फॉरवर्ड (अनुसूचित जाति–03, अनुसूचित जनजाति–16) कुल 19 पद भी सम्मिलित है।

क्षैतिज आरक्षण					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
दृष्टिहीन (B/LV)	मूकबधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	I.D, M.I, S.L.D., AUTISM & M.D.		
0	0	01	0	03	0

नोटः– उक्त पदों में बैकलॉग के केरी फॉरवर्ड (अस्थि विकृत (LD/CP)–01) पद भी सम्मिलित है।

विशेष नोट :–

1. शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा–2018 में नकारात्मक अंकन (Negative Marking) के प्रावधान को विलोपित किया जाता है।
2. प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से प्राप्त राज्य के राज्य के अधीनस्थ विभाग/कार्यालय के पदों हेतु दिव्यांगजनों के संदर्भ में शीघ्रलिपिक भर्ती वर्ष 2011 के भर्ती में शेष रह गए केरीफारवर्ड पदों को शीघ्रलिपिक भर्ती वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् संबंधित दिव्यांग केटेगरी मे सफल अभ्यर्थियों की कैटेगरी के मध्य Inter-Change करने के पश्चात् भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कैरीफारवर्ड के पदों को समाप्त मानते हुए उक्त पदों को सामान्य प्रकिया में सम्मिलित करते हुए अन्य सफल अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
3. पदों की संख्या कमी/वृद्धि एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
4. जिन अभ्यर्थियों ने शीघ्रलिपिक के उक्त पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 13/2018 दिनांक 04.07.2018 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। **ऐसे अभ्यर्थी जो अब अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं विशेष योग्यजन की नवीन श्रेणी में आते है अथवा संबंधित श्रेणी का लाभ लेना चाहते है, वे अपने ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते है।**
5. सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाईन आवेदन करने का अवसर दिया गया है जिसके लिये पात्रता की शर्तो की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया

था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्ते पूरी करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते है।

6. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तो की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा।

02. **आवेदन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि** :–

(क) ऑनलाईन आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क **दिनांक 26.08.2020 से 24.09.2020** को मध्य रात्रि 11.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर स्वयं अथवा राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना, समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

03. **ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया** :– जिन अभ्यर्थियों ने शीघ्रलिपिक के उक्त पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 13/2018 दिनांक 04.07.2018 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 दिनांक 23.01.2019 के अनुसार दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते है। **नये आवेदक** अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन दिनांक **25.09.2020** से दिनांक **01.10.2020** तक संशोधन शुल्क 300/– रूपये ऑनलाईन जमा करवा कर सकते है। **पुराने आवेदक** उपरोक्त श्रेणियों में संशोधन दिनांक **02.10.2020** से **08.10.2020** तक निःशुल्क कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

शीघ्रलिपिक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की शेष शर्ते यथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्यताऐं, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम पूर्व विज्ञापन संख्या 13/2018 दिनांक 04.07.2018 के अनुसार यथावत रहेगी।

(डॉ. बी.एल.जाटावत)

अध्यक्ष